

26/5/2021

पञ्जावली वेबसाइट डी डिजिटल उद्यम पर  
 उपर्युक्त पूर्व में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव  
 जो पञ्जावली में संलग्न है, रेकार्ड पर  
 लिए जाते हैं प्राप्त प्रस्ताव पर बहल  
 डिजिटल उद्यम पर मुनी गमी डिजिटल  
 उद्यम पर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव  
 पर पूर्व में दिनांक 26/05/2021 को भी  
 सहमति ज्ञात की गई थी कि वादीगण  
 को वाद पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव  
 के अनुसार क्विंटम डिजी विभाजित  
 कर विवेक निर्णय प्रथक से विवेक  
 वाद (संलग्न पञ्जावली विभाजित  
 पञ्जावली केवल शुभ होकर नंबर से  
 कम हो।

Singh and An  
 अधिकाधिकारी  
 गणेशगणेश

He 1  
 1/2

(श्याम सुन्दर विष्णोई)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपनिर्देश अधिकारी  
 चित्तौड़गढ़ (स.प्र.)



पीठाधीन अधिकारी:

प्रकरण संख्या : 210/2019 वाद (2019/00548)

अंतर्गत

- 1- नितिन कुमार वर्मा पिता चिरंजीलाल वर्मा निवासी महर्षि देखिची नगर बुधवारनगर चित्तौड़गढ़ तह. व जिला चित्तौड़गढ़
- 2- चन्दु देवी पत्नी गोपाललाल वैरवा निवासी (लोनगरो) की रवेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

— वादीगण

वनाम

- 1- कान्हा पिता प्यारा चमार निवासी बस्ती तह. व जिला चित्तौड़गढ़
- 2- शोभा पिता प्यारा चमार निवासी बस्ती तह. व जिला चित्तौड़गढ़
- 3- मु. लक्ष्मण पुत्री प्यारा चमार निवासी बस्ती तह. व जिला चित्तौड़गढ़
- 4- गीता पुत्री प्यारा चमार निवासी बस्ती तह. व जिला चित्तौड़गढ़
- 5- कंकु पुत्री प्यारा भाबलिंग संशुभ, माता देउ देवा प्यारा चमार निवासी बस्ती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
- 6- रामी पुत्री प्यारा भाबलिंग संशुभ, माता देउ देवा प्यारा चमार निवासी बस्ती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
- 7- कालुलाल पिता अगवाना चमार निवासी बस्ती तह. व जिला चित्तौड़गढ़
- 8- रतनी पुत्री अगवाना चमार निवासी बस्ती तह. व जिला चित्तौड़गढ़
- 9- रामी पुत्री अगवाना चमार निवासी बस्ती तह. व जिला चित्तौड़गढ़
- 10- हरिबई देवा अगवाना चमार निवासी बस्ती तह. व जिला चित्तौड़गढ़
- 11- मोहनलाल पिता नानुलाल श्री बस्तीक नि. बस्ती तह. व जिला चित्तौड़गढ़
- 12- अमिन्दारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ नि. बस्ती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
- 13- देउ देवा प्यारा चमार नि. बस्ती तह. व जिला चित्तौड़गढ़
- 14- जगदीशचन्द्र पुत्र शिवलाल आठव नि. बस्ती तह. व जिला चित्तौड़गढ़

— प्रतिवादीगण

कार्यवाही : वाद अंतर्गत द्वारा 53 डार. ही. ए.  
उपस्थिति : 1- श्री हेमन्त गर्ग डायनकरता वादीगण  
2- श्री संजय आठव डायनकरता प्रतिवादी सं. 14

... लडातार



निर्णय

दिनांक 26/05/2019

संश्लेषित विचारण पुकरण इस प्रकार है कि वारीगण ने विरहू प्रतिवारीगण अर्थात् द्वारा 53 आर. ही. ए. वार पत्र 38 आदेश का प्रस्तुत किया कि वारीगण एवं प्रतिवारीगण के सम्बन्ध कब्जे काश्त एवं खलेदारी की आश्जीयात में जा बहली पत्वार हतका वही तहसील लिसेगाह खाला खरेण 680 में अंकित आश्जी नम्बर 1426, 1426/4526, 1472, 1444, 1445, 1446, 1447 1450 कीता व रकबा 1.29 हे. निहित है, जिसमें वारीगण ने पूर्व खलेदार के वरसों पूर्व कब्जे अनुसार भूमि दिनांक 18/9/2018 जशिर विक्रय पत्र 5 का क्रय की है। वारीगण एवं प्रतिवारीगण की खलेदारी सम्बन्ध है और सभी अपने-अपने एक हिस्से से मौखिक बटेवाडा अनुसार अपने-अपने एक हिस्से पर कब्जा लेकर काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन खेन्गु रेकॉर्ड में खलेदारी सम्बन्ध लेने से आधे दिन में वाली कबा पेड आदि को लेकर प्रतिवारी विचार करते रहते हैं। वारीगण द्वारा पूर्व खलेदार के एक हिस्से में आधी भूमि आश्जीयात जिनमें आश्जी नम्बर 1426 रकबा 0.0700, 1427 रकबा 0.2000, 1446 रकबा 0.1700 1450 रकबा 0.0900 एवं 1444 रकबा 0.36 हे. में से 0.16 हे. भूमि क्रय की गई और बाँके पर कब्जा प्राप्त कर पूर्ण उपयोग उपयोग करते चले आ रहे हैं। वारीगण ने कई अर्थात् बटेवारा हेतु प्रतिवारीगण को कहा किन्तु वे तैयार नहीं हो पा रहे हैं जिससे वारगण आश्जीयात का अच्छी से अच्छी एवं पूरी से बुरी आश्जीयात का एक हिस्से अनुसार बटेवाडा किया जाना व जकाबली में अलग से नाम कायम किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाना आवश्यक है। निनाय दाका प्रकमत: 05/11/2018 को प्रतिवारीगण द्वारा वारगण आश्जीयात को लेकर लडाई-झगडा करने व वारीगण द्वारा बहवाडे की कहने पर अज्ञात कर देने से वार कारण पैरा लेकर निबन्ध जारी है। अन्त में वार पत्र में वर्णित भूमि आश्जीयात में वारीगण एवं प्रतिवारीगण का एक के आधार पर अलग-अलग बटेवारा रेकॉर्ड अनुसार कराया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में शता अलग से कर, अलग से लगान कायम किये जाने की दिशि प्रदान करने वाबत निर्देश किया।



(जयप्रकाश नारायण कलेक्टर)  
 जयप्रकाश कलेक्टर एवं  
 जयप्रकाश जिला  
 जयप्रकाश (उ.प्र.)

... लगातार

इस 9 पर प्रकल्प जारी रखिएर फिना जाकर प्रतिवारीगण को तलब फिना गया। प्रकरण बार सुनवाई दिनांक 28/10/2020 को स्वीकार फिना जाकर ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी स्थित आरक्षी नम्बर 1426 रकम 0.0700, 1426/4526 रकम 0.0300 1427 रकम 0.2000, 1444 रकम 0.3600, 1445 रकम 0.0800 1446 रकम 0.1700, 1447 रकम 0.2900, 1450 रकम 0.0900 फीता 8 रकम 1.2900 हे. का वारीगण एवं प्रतिवारीगण के कल्याण उनके हक हिस्से एवं उनके झोंके पर कहे तन्ना का विज कानुना विभाजन किये जाने का प्राथमिक डिफ्री फिना गया एवं तहसीलदार चित्तौडगढ़ को कमिश्नर नियुक्त फिना जाकर झोंका विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित फिना गया।

बाद यह प्राथमिक डिफ्री फिए जाने के पश्चात ग्रामी जगदीशचन्द्र पिता शिवलाल भाण्ड निवासी बस्सी ग्राम प्रार्थना पत्र अर्जेंट कोर्ट 01 निगम 10 जा.दी. प्रस्तुत करने एवं तहसील से झोंका शिप्टे प्राप्त होने पर बाद सुनवाई दिनांक 22/01/2021 को प्रार्थना पत्र 0 कोर्ट 01 निगम 10 जा.दी. स्वीकार कर प्राथमिक डिफ्री में उक्त निर्देशानुसार झोंका विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार चित्तौडगढ़ को निर्देशित फिना गया। दिनांक 22/01/2021 को प्रार्थना पत्र 01 R 10 जा.दी. पर पारिल निर्णय के विरुद्ध ग्रामी जगदीशचन्द्र भाण्ड द्वारा मा. न्यायप्रलय राजस्व भण्डल राजस्वको अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई।

मा. न्यायप्रलय राजस्व भण्डल राजस्व अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 18/3/2021 से निगरानी स्वीकार की जाकर ग्रामी को वतौर पक्षकार संयोजित करने के कोर्ट उदाह फिए गए एवं प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15/04/2021 निगत की गई। उक्त दिनांक को वारीगण द्वारा जगदीशचन्द्र भाण्ड को प्रतिकारी संख्या 14 कायम फिए जाने का प्रार्थना पत्र एवं संशोधित अन्वयण प्रस्तुत फिनाकर, प्रकल्प में जारी प्राथमिक डिफ्री

... लगातार



(ग्राम सुधार विभागे)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपमंडल अधिकारी  
चित्तौडगढ़ (पश्.)

की बालगा में विभाजन प्रस्ताव तालाब करने हेतु प्रारम्भिक पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अखिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जरीशचन्द द्वारा आपत्ति नहीं लेना अंकित किया गया, जिससे प्रकरण में दिनांक 28/10/2020 को जरी प्राथमिक डिफ़ी निर्माण मोंका विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया गया।

प्राथमिक डिफ़ी की बालगा में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा मोंका विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए गए। प्राप्ति विभाजन प्रस्ताव पर अखिवक्ता उभय पक्ष की बहस पुनीगी अखिवक्ता उभय पक्ष ने प्राप्ति विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर बार पत्र विभाजन का अन्तिम डिफ़ी किया जाने बाबत निवेदन किया।

हमने परकली का अवलोकन किया एवं अखिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिन्तन मगन किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव से उभय पक्ष को सहमत होने एवं विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिफ़ी के अनुम्य होने से हस्त विभाजन प्रस्ताव वारीगण का वार पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बस्सी पलवार हल्का बस्सी स्थित आराजी नम्बर 1426, 1426/4526, 1472, 1444, 1445, 1446, 1447, 1450 कीता 8 कुल रकबा 1.29 हे० का वारीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन का अन्तिम डिफ़ी किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम श्रोतदार	ग्राम	आराजी नं.	रकबा	किसम	हे० ग०
1-	नितिन कुमार पिंग चित्तौड़गढ़ बैरवा सा. कुम्हारगढ़ चित्तौड़गढ़ हि० 436/694 - बड़ौसी पत्नी गोपीलाल बैरवा सा. सोनारों की शेडी हि० 258/694 तहसीलदार	बस्सी	1426	0.0700	चा० 2	1.596
			1426	0.0300	चा० 2	0.68
			4526	0.2000	चा० 2	4.096
			1427			
			1444 में से पश्चिमी भाग	0.1708	बी० 5	0.40
			1446 में से उत्तरी भाग	0.0452	बी० 5	0.11
			1446 में से दक्षिणी भाग	0.0880	बी० 5	0.21
	1450	0.0900	चा० 2	2.052		
	कीता	7	0.6940		3.17	



(न्याय मुन्शी चित्तौड़गढ़)  
जयप्रकाश कलेक्टर एवं  
विभाजन अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

... लगातार

क्र.सं.	नाम स्वामी	ग्राम	आ.न.	रकम	विस्म	चु.रा.
2	मोहनलाल पिता नानुलाल बपतीक सा-देह स्वामे	बस्ती	1445	0.0800	सा.2	0.3520
	कीता		1	0.0800		0.3520
3	जगदीशचन्द्र पिता शिवलाल भण्ड सा-बस्ती स्वामे	बस्ती	1446 मंवे मकरागा	0.0368	बीड	0.084
	कीता		1	0.0368		0.084
4-	कालु लाल शतकी रामी पिता अशोका हरिकर्द पत्नी स्व अशोका 1/2 काना शोभाकुटुम्बू कंठू रामी पिता प्यारा कंठू रामी अतिरिक्त संरक्षक माता देउ केवा प्यारा 1/2 चकार सा-देह स्वामे	बस्ती	1444 मंवे उसीपुर्वी	0.0292	बीड	0.069
			1445 मंवे रसीनीपुर्वी	0.1600	बीड	0.386
			1447	0.2900	भारोड	6.61
	कीता		3	0.4792		7.065

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरमद किया जाये। विभाजक प्रमाण के साथ प्राप्त नबशा इस डिप्री का पारि रहेगा।  
निर्णय लियाया जाकर आज दिनांक 26/05/20 को सुनाया गया।



  
 (नाम सुन्दर विघनेई)  
 जिल्हाधिकारी  
 दहानू जिल्हा  
 २६/०५/२०

## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़ बईजलास  
श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़

1. नितिन कुमार वर्मा पिता चिरंजीलाल वर्मा निवासी महर्षि दधिवी नगर कुम्भानगर चित्तौड़गढ़ तह. व जिला चित्तौड़गढ़
2. चन्दु देवी पत्नी गोपाल लाल बैरवा निवासी सोनगरो की खेड़ी तह. व जिला चित्तौड़गढ़

-वादी

बनाम

1. काना पिता प्यारा चमार निवासी बस्सी तह. व जिला चित्तौड़गढ़
2. शोभा पिता प्यारा चमार निवासी बस्सी तह. व जिला चित्तौड़गढ़
3. मु. टम्पु पुत्री प्यारा चमार निवासी बस्सी तह. व जिला चित्तौड़गढ़
4. गीता पुत्री प्यारा चमार निवासी बस्सी तह. व जिला चित्तौड़गढ़
5. कंकु पुत्री प्यारा नाबालिग संरक्षक माता देउ बेवा प्यारा चमार निवासी बस्सी तह. व जिला चित्तौड़गढ़
6. रामी पुत्री प्यारा नाबालिग संरक्षक माता देउ बेवा प्यारा चमार निवासी बस्सी तह. जिला चित्तौड़गढ़
7. कालुलाल पिता भगवाना चमार निवासी बस्सी तह. व जिला चित्तौड़गढ़
8. रतनी पुत्री भगवाना चमार निवासी बस्सी तह. व जिला चित्तौड़गढ़
9. रामी पुत्री भगवाना चमार निवासी बस्सी तह. व जिला चित्तौड़गढ़
10. हरिबाई बेवा भगवाना चमार निवासी बस्सी तह. व जिला चित्तौड़गढ़
11. सोहनलाल पिता नाथूलाल खटीक निवासी बस्सी तह. व जिला चित्तौड़गढ़
12. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़
13. देउ बेवा प्यारा चमार निवासी बस्सी तह. व जिला चित्तौड़गढ़
14. जगदीशचन्द्र पुत्र शिवलाल भाण्ड निवासी बस्सी तह. व जिला चित्तौड़गढ़

-प्रतिवादी

प्र.स. 210/2019 (GCMS 2019/00548)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री हेमन्त गर्ग की, और प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से वकील श्री संजय मौड की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र हस्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी के आराजी नम्बर 1426, 1426/4526, 1472, 1444, 1445, 1446, 1447, 1450, कीता 8 कुल रकबा 1.29 है. का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता है :-



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नाम खातेदार	ग्राम	आ.नं.	रकबा	किस्म	भू.रा.
नितिन कुमार पिता चिरंजीलाल बैरवा सा. कुम्भानगर चित्तौड़गढ़ हि. 436/694 चन्द्रदेवी पत्नी गोपीलाल बैरवा सा. सोनगरों की खेडी हि. 258/694 खातेदार	बरसी	1426	0.0700	चा. 2	1.596
		1426/4526	0.0300	चा. 2	0.68
		1427	0.2000	जा. 2 चा. 2	4.096
		1444 मे से	0.1708	बीड	0.40
		परिचमी भाग			
		1446 मे से	0.0452	बीड	0.11
		उतरी भाग			
		1446 मे से	0.0880	बीड	0.21
		दक्षिणी भाग			
		1450	0.0900	चाही 2	2.052
कीता		7	0.6940		9.17
2. सोहनलाल पिता नाथूलाल खटीक सा. देह खाते.	बरसी	1445	0.0800	बा. 2	0.3520
कीता		1	0.0800		0.3520
3. जगदीशचन्द्र पिता शिवलाल माण्ड सा. बरसी खाते.	बरसी	1446 मे से	0.0368	बीड	0.084
		मध्य भाग			
कीता		1	0.0368		0.084
4. कालु लाल रतनी रामी पिता भगवाना हरिबाई पत्नी स्व. भगवाना 1/2 काना शोभा मु.टमू कंकू रामी पिता प्यारा कंकू रामी अवयस्क संरक्षक माता देउ बेवा प्यारा 1/2 चमार सा. देह खाते.	बरसी	1444 मे से	0.0292	बीड	0.069
		उतरी पूर्वी भाग			
		1444 मे से	0.1600	बीड	0.386
		दक्षिणी पूर्वी भाग			
		1447	0.2900	चाही 2	6.61
कीता		3	0.4792		7.065

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज दिनांक 26.05.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



(नाम मुन्दर सिन्हा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपलब्ध अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

